न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1373–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 32/बी–103/2012–13(33)

.....

मोहम्मद शफीक आ0 शेख रईस
निवासी गैरतगंज तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

अब्दुल हफीज आ0 मोहम्मद यासीन
निवासी वार्ड कमांक 1 नरापुरा पक्की मस्जिद के पास,
गैरतगंज तहसील गैरतगंज जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदक

– – –

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.के.जैन, अभिभाषक, अनावेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पिता शेख रईस तथा उनके भाई की शामिल शरीक कस्बा गैरतगंज स्थित भूमि सर्वे नम्बर 335/1 रकबा 4.67 एकड़ है, अनावेदक अब्दुल हफीज द्वारा अपने हिस्से की आधी भूमि रकबा 2.33 एकड़ रुपये 50,000/– में आवेदक को विकय कर धन प्राप्त

कर लिया गया है तथा सादा लेख पत्र रुपये 101/– के स्टाम्प पर सम्पादित किया है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विवाद हो गया है, अतः सादा विक्रय पत्र पर दिनांक 29–3–1995 को पूर्ण स्टाम्प शुल्क निर्धारण किया जाकर विलेख पत्र को परिबद्ध किया जाये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा प्रकरण कमांक 48/बी–103/10–11 दर्ज कर दिनांक 7–10–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 51,800/– अवधारित किया जाकर 3,885/– मुद्रांक शुल्क देय होना निर्धारित करते हुये कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 3,875/– एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत शास्ति चार गुना अर्थात 15,500/– अधिरोपित कर कुल रुपये 19,375/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1983–तीन/2011 दर्ज कर दिनांक 25–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया गया कि वे इस संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकाले की प्रकरण में जो लिखत प्रस्तुत हुई है वह 5 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत हुई है अथवा नहीं । साथ ही प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई निर्देश है क्या ? इसकी भी जॉच करें और तद्नुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही कर आदेश पारित करें । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन द्वारा प्रकरण कमांक 32/बी–103/2012–13(33) दर्ज किया जाकर दिनांक 17–12–2013 को आदेश पारित करते हुये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश दिनांक 7–10–2011 निरस्त किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व मण्डल द्वारा पारित प्रतयावर्तन आदेश दिनांक 25–9–12 के पालन में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और प्रकरण में जो सूचना पत्र संलग्न है, उसकी विधिवत् तामील आवेदक पर नहीं हुई

है एवं न ही तामीली संबंधी टीप अंकित है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है।

(2) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव को जस का तस लिखकर आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधिनियम की धारा 31(1), 33(1) के प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल लिखत को स्टाम्पित किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 48–ख लागू नहीं होती है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक प्रावधान पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(4) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप केता को तामील कराया जाना आज्ञापक है क्योंकि मुद्रांक शुल्क का उत्तरदायी केता ही होता है । प्रकरण में सूचना पत्र कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रवाचक द्वारा जारी किया गया है, अतः ऐसे सूचना पत्र के आधार पर की गई समस्त कार्यवाही अवैध है ।

उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–12 के पालन में विधिवत् कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1983–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 25–9–2012 से प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया गया था, परन्तु इस न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा

अनावेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहरायी जा सकती है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये आवेदक के आवेदन पत्र का विधि के प्रावधानों के अनुरूप निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर